



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1240]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 19, 2019/फाल्गुन 28, 1940

No. 1240]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 19, 2019/ PHALGUNA 28, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अध्यादेश

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2019

का.आ. 1388(अ).—राष्ट्रपति, भारतीय दिवाला और अशोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) की पूर्णकालिक सदस्या सुश्री सुमन सक्सेना द्वारा त्यागपत्र निविदित करने और एसीसी द्वारा इस त्यागपत्र की स्वीकृति के अनुमोदन के परिणामस्वरूप सुश्री सुमन सक्सेना का आईबीबीआई की पूर्णकालिक सदस्या के पद से दिनांक 08.10.2018 से त्यागपत्र स्वीकार करते हैं।

[फा. सं. 30/68/2018-दिवाला]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2019

S.O. 1388(E).—Consequent upon the tendering of resignation by Ms. Suman Saxena, Whole Time Member (WTM), Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) and approval of ACC for accepting the resignation, the President hereby accepts the resignation of Ms. Suman Saxena from the post of WTM, IBBI w.e.f. 08.10.2018.

[F.No. 30/68/2018-Insolvency]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

1788 GI/2019